

न्यायालय सिविल जज(सी0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागेश्वर।
फौजदारी वाद संख्या-796/2022
कैलाश कुमार विरुद्ध राजेन्द्र सिंह

53 / 15.10.2024

पत्रावली पेश, पुकार कराई गई। परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता त्रिलोक चन्द्र जोशी उपस्थित हैं। अभियुक्त उपस्थित नहीं हैं। परिवादी की हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र कागज संख्या-63ख जरिये विद्वान अधिवक्ता श्री त्रिलोक चन्द्र जोशी द्वारा प्रस्तुत किया गया। सुना। हाजिरी माफी केवल आज की तिथि के लिए स्वीकृत। परिवादी द्वारा पूर्व आदेश के अनुपालन में पैरवी नहीं की गयी है। परिवादी अविलम्ब अभियुक्त के दिये गये पते पर पुनः पैरवी करें। तत्पश्चात् अभियुक्त को समन जारी हो।

पत्रावली वास्ते उपस्थिति अभियुक्त दिनांक 04.11.2024 को पेश हो।

(नीरज कुमार)
सिविल जज, (सी0डि0)/,
न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागेश्वर।